न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. जीतू सिंह पुत्र जालम सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सामुदायिक भवन के पास, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही
   (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्मः- माजीसा किराणा स्टोर, अमर नगर, सिरोही, जिला- सिरोही

2. मांगीलाल पुत्र श्री देवाराम, निवासी- निहारियों का वास, शिवगंज, जिला- सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- लक्ष्मी ब्रदर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. धनराज कुमावत पुत्र श्री नरसाराम, निवासी-कोलीवाडा, कोलीवाडा, जिला-पाली
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- धनराज एजेन्सी, आदर्श कॉपरेटिव बैंक के पास, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला-पाली

प्रकरण संख्याः 13/2020

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा-52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

-: निर्णय :- दिनांक 12 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 18.7.2019 को समय 12.30 पी.एम. पर फर्म माजीसा किराणा स्टोर, अमर नगर, सिरोही, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति जीतू सिंह पुत्र जालमसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सामुदायिक भवन के पास, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही है एवं उक्त फर्म माजीसा किराणा स्टोर पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को सूजी (केवट ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के अमानक शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के 24 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य

....पेज दो पर

कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-983, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् खरीदशुदा सूजी (केवट ब्राण्ड) के खरीदशुदा चारों पैक्ड पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-983 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 19.7.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 18.7.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-983 मिथ्याछाप पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह एवं निर्माता/पैकर फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुन: जांच का आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन जीतू सिंह एवं निर्माता/पैकर फर्म ने पुन: जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का

...पेज तीन पर

अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रतिवादीगण जीतू सिंह, मांगीलाल एवं धनराज कुमावत ने दिनांक 26.2.2020 को इस न्यायालय में अलग-अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रतिवादी जीतू सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 18.7.2019 को जिस सूजी केवट ब्राण्ड का नमूना जांच हेतु लिया था वह मैनें पेकिगं अवस्था में मैसर्स लक्ष्मी ब्रदर्स, सुमेरपुर से बिक्री हेतु प्राप्त किया था जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया है। मैनें मेरी ओर से इसमें कुछ नही मिलाया था, कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 18.7.2019 को जिस सूजी केवट ब्राण्ड का नमूना जांच हेतु लिया था वह मैनें पैकिंग अवस्था में धनराज एजेन्सी, सुमेरपुर से बिक्री हेतु प्राप्त किया था जिस अवस्था में प्राप्त किया था उसी अवस्था में आगे बेच दिया था। जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। मैनें मेरी ओर से कुछ नही मिलाया था। अतः मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी धनराज कुमावत द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 18.7.2019 को जिस सूजी (केवट) का नमूना जांच के लिये लिया गया था वह मैनें मार्केट से खरीदकर पैकिंग की है, जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाई गई है। सूजी की क्वालिटी ठीक पाई गई है, लेबल में पैकिंग तिथि अंकित नही होने से नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। अब मैनें लेबल पर तिथि अंकित करना शुरु कर दिया है। मैनें इसमें सूजी के अलावा कुछ नही मिलाया है। मैनें मेरी गलती सुधार कर ली है। मैं जब भी सूजी की पैकिंग करता हूँ, तब तिथि अंकित कर देता हूँ। भूलवश तिथी अंकित नही हो पाई थी। मैं मेरी गलती स्वीकार ता हूँ। भविष्य में पूरा ध्यान रखूंगा। अतः मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 11.3.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.7.2019 को

...पेज चार पर

12.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म माजीसा किराणा स्टोर, अमर नगर, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म माजीसा किराणा स्टोर में मालिक एवं खाद्यकारोबाकर्ता की हैसियत से जीतू सिंह पुत्र जालम सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सामुदायिक भवन के पास, अमर नगर, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म माजीसा किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग के लिये विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह को उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा फर्म माजीसा किराणा स्टोर में आलमारी की रैक में मौजूद खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के 24 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) नमूना जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह को अदा कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-983, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के चारों पैक्ड नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-983 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म

....पेज पांच पर

माजीसा किराणा स्टोर, अमर नगर, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह से खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्रण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 19.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 18.7.2019 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-983 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./557/Act/2019/611 दिनांक 25.7.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म माजीसा किराणा स्टोर, अमर नगर, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता जीतू सिंह से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-983 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के पेकिंग लेबल पर निर्माण तिथि अंकित की हुई नही थी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/9728-31 दिनांक 09.8.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (जीतू सिंह) व निर्माता/पैकर फर्म धनराज एजेन्सी को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है, किन्तु इन्होनें पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (जीतू सिंह) की उक्त फर्म माजीसा किराणा स्टोर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड पाउचेज को इनवोइस नम्बर 19-20/1605 दिनांक 29.6.2019 के द्वारा फर्म लक्ष्मी ब्रदर्स, मेन मार्केट, सुमेरपुर से क्रय किया था। प्रतिवादी संख्या- 2 (मांगीलाल) की फर्म लक्ष्मी ब्रदर्स द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) को बिल संख्या 846 दिनांक 29.6.2019 के द्वारा क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त फर्म धनराज एजेन्सी, मैन मार्केट, सुमेरपुर,

....पेज छः पर

जिला- पाली द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सूजी (केवट ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु फर्म धनराज एजेन्सी, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली ही मुख्य रुप से दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत धनराज कुमावज पुत्र श्री नरसाराम कुमावत, निवासी- कोलीवाडा, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, धनराज एजेन्सी, आदर्श कॉपरेटिव बैंक के पास, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, धनराज कुमावज पुत्र श्री नरसाराम कुमावत, निवासी- कोलीवाडा, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर धनराज एजेन्सी, आदर्श कॉपरेटिव बैंक के पास, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 10:57:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: